फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत...........**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा**................मुकाम....................**भादरा**....................................

..........................**पतराम आदि**...........................बनाम्..................**रामीदेवी आदि**..

किस्म मुकदमा............**88 RTAct**.........नं० ....**30 / 07.03.18**............सन्............... **2018** ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
07-03-2018	आज यह प्रकरण जरिये वकील वादीगण की ओर से पेश किया गया। रिपोर्ट सिगेदार होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 12.04.2018 को पेश है। [signature]	
12/4/18	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिक.. अवकाश पर है.... दिनांक 12/5/18.. को पेश हो। [signature]	
12/5/18	[illegible handwritten order] ... प्रतिवादी क्रमांक 2 ... [illegible] ... वकील वादी की ... [illegible]	अ. नि. [illegible] [thumb impression] [illegible] [signature]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
	पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादिया द्वारा [illegible] के [illegible] पेश किया, अनुसार तथा तहसीलदार भादरा से पुष्टि हेतु आदेशित किया गया बाद वापिस प्राप्त [illegible] किया गया है तथा [illegible] की गयी है कि [illegible] पत्र व SDR के [illegible] 82/72 की कुल 1.771 हैक्टेयर प्रतिवादी का 1 के [illegible] [illegible] वादीगण [illegible] तथा [illegible] [illegible] [illegible] की की जावे तथा पत्रावली में [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] के [illegible] किया जाकर [illegible] [illegible] किया जावे इसी अनुसार रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे दर्ज किया जाकर [illegible] [illegible] [illegible] 2 [illegible] के निर्णय [illegible] पत्रावली दफ्तर दाखिल हो RW अध्यक्ष लोक अदालत भादरा कैम्प- [signature] सदस्य लोक अदालत भादरा	

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 30 / 18

अनवान :
1. पतराम पुत्र वीरूराम जाति जाट निवासी गान्धीबड़ी तहसील भादरा।
2. रामप्रताप उर्फ नवीन पुत्र वीरूराम जाति जाट निवासी गान्धीबड़ी तहसील भादरा।

–वादीगण

बनाम

1. रामीदेवी पुत्री बीरूराम पत्नी कुरडाराम जाति जाट निवासी गान्धीबड़ी हाल निवासी सुण्डावास जिला हिसार।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एंव रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 गांधीबड़ी में वकीलवादी श्री मुंशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 6 एसडीआर के खाता सं० 82 / 77 के मु० न. 25 के किला न. 17 ता 19, 21 ता 24 कुल 1.771 हैक्टर नहरी में प्रतिवादी सं. 1 रामीदेवी का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण 1 व 2 पतराम व रामप्रताप उर्फ नवीन बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड किया जावे तथा जमाबंदी में दर्ज रामप्रताप, रामप्रसाद उर्फ नवीन को शुद्ध किया जाकर रामप्रताप उर्फ नवीन किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 ने वादभूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ